

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 144/2019

तारीख 25/6/19

01. मोतीगर पिता भवानीगर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थी

बनाम

01. किशोर पिता नारायण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. घीसु पिता कजोडगर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. प्रभुगिरी पिता मोतीगर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. देबीलाल पिता घीसा जाति कराड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 11/8/19


प्रार्थना पत्र मोतीगर पिता भवानीगर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा भूति पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 72 पर अंकित आराजी संख्या 294 रकबा 0-02 बीघा, एवं खाता संख्या 182 पर अंकित आराजी संख्या 299 रकबा 5-00, आराजी संख्या 322 रकबा 4-07 बीघा कुल किता 02 रकबा 9-07 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा भूति पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 72 पर अंकित आराजी संख्या 294 रकबा 0-02 बीघा, एवं खाता संख्या 182 पर अंकित आराजी संख्या 299 रकबा 5-00, आराजी संख्या 322 रकबा 4-07 बीघा कुल किता 02 रकबा 9-07 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ